वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 131 /2025 *दिनांक- 08.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 08.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

थाना-अहरौला

अपमिश्रित नकली शराब मामले में गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त, अन्तर्राज्यीय गैंग का सदस्य तथा रमाकान्त यादव का सहयोगी , 25,000 रूपये का इनामिया अभियुक्त रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

तत्कालिक थाना प्रभारी अहरौला राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रेषित गैंगचार्ट तथा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ के अनुमोदनोपरान्त थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0 97/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986*** बनाम अभियुक्त ***1.रंगेश यादव पुत्र बजरंगी यादव, सा0 परतहिया, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर आदि 12 नफर के विरुद्ध*** पंजीकृत हुआ। उक्त गैंग चार्ट के सम्बन्ध में ***तत्कालिक थानाध्यक्ष मनीष पाल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़*** द्वारा प्रेषित *पूरक गैंग चार्ट* के अनुमोदन के उपरान्त ***दिनाँक 10.12.2024*** को थाना स्थानीय पर बनाम अभियुक्तों

1. रमाकांत यादव पुत्र श्रीपति यादव, निवासी सरावां, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, हाल पता अम्बारी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

2. नसीम नेता उर्फ नसीम पुत्र मोहिद खान, निवासी रुपाईपुर, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

3. रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार क्षत्रि, निवासी सी0के0 61/8 काशीपुरा, थाना चौक विशेश्वरगंज, जनपद वाराणसी, हलापता ग्राम खालीसपुर, चौकी सरायमोहाना, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी

4. जोयन्ता कुमार मित्रा पुत्र डाक्टर नील मोनी, निवासी मोहल्ला 71/5 डाक्टर नीलमोनी सरकार स्ट्रीट, थाना बारानगर, जनपद उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल, के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना वर्तमान में ***अमित मिश्रा थानाध्यक्ष अतरौलिया, जनपद आजमगढ़*** द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 08.04.2025 को थानाध्यक्ष अहरौला अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित ***25,000 रूपये का ईनामिया** अभियुक्त **रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार क्षत्रि निवासी सी0के0 61/8 काशीपुरा थाना चौक विशेश्वरगंज जनपद वाराणसी हलापता ग्राम खालीसपुर चौकी सरायमोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी*** को मुखबिर की सूचना के आधार पर ***बरामदपुर पुलिया से समय करीब 8.040 AM पर*** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

97/22 धारा 3(1) उ0 प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि0 अधि0 1986 थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार क्षत्रि निवासी सी0के0 61/8 काशीपुरा थाना चौक विशेश्वरगंज जनपद वाराणसी हलापता ग्राम खालीसपुर चौकी सरायमोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी

पूर्व का आपराधिक इतिहास:-

(1) - रवि कुमार क्षत्रि 1. मु0अ0सं0 60/22 धारा – 34/272/273 भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम थाना-फूलपुर , आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 39/22 धारा –3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना-अहरौला, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 सर्वेश यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. का0 सौरभ राय थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 अनामिका कुशवाहा थाना-अहरौला, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभि0 किसी गैग का सदस्य है तो उसका विवरण:-

अन्तर्राज्यीय गैंग आई0एस0 -133/2025 अपमिश्रित नकली शराब तस्कर गैंग ।

पुरस्कार घोषित अपराधी है या नही:-

हाँ, पुरस्कार राशि-25,000 रू0/- जनपद आजमगढ़।

थाना-बिलरियागंज

गोकशी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.03.2025 को ग्राम प्रधान बसिला, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि सुबह 06.00 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास टहल रहे थे कि पूर्वांचल के बगल में ग्राम झुसी में त्रिपुरारी दुबे के खेत के बगल मे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे कुछ मांस के टुकडे पड़े हुए हैं, जिसे नजदीक जाकर देखा तो प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष वहां पडे हुए थे। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में मामूर होकर जैगहा में उपस्थित थे कि जरिये मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वहाँ से प्रस्थान कर सियरहा बाजार से कुछ आगे पहुँचे ही थे कि सियरहा अण्डर पास से बिलरियागंज रोड़ पर पैदल आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस वालों को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस द्वारा घेरमाकर समय करीब 10.45 बजे पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति द्वारा अपना नाम तुफैल पुत्र स्व0 कुद्दूस निवासी बिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष तथा भागने का कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैं और नसीरपुर गाँव के रहने वाले तैय्यब और उसका भाई अबू तालिब पुत्रगण हसन रजा उर्फ झिनकू एक दूसरे के दोस्त हैं, तीन-चार दिन पहले तैय्यब व अबू तालिब जेल गये है, मुझे लगा कि पुलिस मुझे भी तलाश रही है, इसलिए मैं भागने लगा। तुफैल उपरोक्त जो थाने का दुराचारी अपराधी भी है, इसलिए कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और तैय्यब व अबू तालिब तीनों लोग एक्सप्रेसवे के पास टहलते हुये प्रतिबंधित पशुओं को शाम के समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पुलिया के पास झाडियों में ले जाकर बाध देते थे, और रात्रि में आकर काटकर उसका माँस ले जाकर बेच देते थे, और शेष अवशेष वहीं पर झाडियों में फेक देते थे, हमेशा की तरह दिनाँक 17.03.2025 को जब हम लोग एक प्रतिबंधित पशु को काटकर बोरे में माँस भर रहे थे कि आस-पास खेत के कुछ लोगों ने देख लिया तो हम लोग वहीं पर बोरे में और नीचे रखे माँस को छोड़कर और चापड़,चाकू व लडकी ठीहा को बोरे में ही रखकर वहाँ से कुछ दूर ले जाकर छिपाकर भाग गये। जिसके बाद हम लोगों को पता चला कि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को प्रतिबंधित पशु काटने के सम्बन्ध सूचना दिया गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु काटने वालों की तलाश किया जा रहा है। तब से हम लोग एक-दूसरे से मिलना-जुलना बन्द कर दिये और छिपकर रहने लगे, कुछ दिन बाद मेरे द्वारा छिपाया गया चापड,चाकू,लकडी का ठीहा जो उसी स्थान पर था मैं उसे हटाने बढाने के चक्कर में था कि पता चला कि मेरे दोनों साथी जेल चले गये हैं तो मैं और डर गया और सोचा कि आज उस समान को वहाँ से हटा दूंगा और फरार हो जाऊँगा कि आप लोगों ने पकड लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर झाडी में रखे एक बोरे से एक अदद चाकू, एक अदद चापड व एक अदद लकड़ी का ठीहा बरामद किया गया।

बरामदगी:-

1- एक अदद चाकू लोहे का

2- एक अदद चापड़ लोहे का

3- एक अदद लकडी का ठीहा

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 78/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि व 4/25 आयुध अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- तुफैल पुत्र स्व0 कुद्दूस, निवासी बिन्दवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	215/13	3/5ए/8 गोवध अधि0 11 पशु क्रुरता अधि0	बिलरियागंज	आजमगढ़
2	375/13	110 जी	बिलरियागंज	आजमगढ़
3	490/13	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	बिलरियागंज	आजमगढ़
4	08/20	3/5/8 गोवध अधि0	बिलरियागंज	आजमगढ़
5	44/20	3/5/8 गोवध अधि0	बिलरियागंज	आजमगढ़
6	75/20	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	बिलरियागंज	आजमगढ़
7	78/25	3/5/8 गोवध निवारण अधि व 4/25 आयुध अधि0	बिलरियागंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़

2- उ0नि0 लवकुश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

3- हे0का0 रामनिवास यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

4- का0 स्वातेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

5- का0 महेन्द्र मौर्या थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पूर्व का विवरण:-

दि0 07.08.2025 को वादिनी/पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी ग्राम कौरागहनी थाना सरायमीर आजमगढ द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया व 2.5 लाख रू0 ले लिया गया जिसे वापस नहीं किया जा रहा है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 83/25 धारा 376,406, भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 08.04.2025 को उ0नि0 रूपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर आजमगढ उम्र 26 वर्ष को सुरहन तिराहा के पास से समय करीब 8.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रवि गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी ग्राम कौरा गहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	83/25	**376,406 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट**	दीदारगंज	आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 08.04.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा ***अबैध शस्त्र रखने*** आरोप में दोषी करार देते हुए ***09 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से*** दण्डित किया गया।

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोपी अभियुक्त को 09 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 14.08.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 14.08.2024 को विपक्षी इरफान उर्फ करार हैदर पुत्र शमीम निवासी ग्राम नेवादा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ **के कब्जे से *एक अदद अबैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना।***

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर ***मु0अ0सं0- 309/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट*** पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡ ***जिसके क्रम में दिनांक- 08.04.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम-13 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इरफान उर्फ करार हैदर पुत्र शमीम निवासी ग्राम नेवादा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 09 माह के कठोर कारवास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***